अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 919(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) यह स्कीम राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII अंक) नियम, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:

(1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"खाता"** से इस स्कीम के अंतर्गत खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाता" धारक से वह व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम पर खाता धारित है;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है ;

(घ) "प्ररूप" से इस स्कीम में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "सामान्य नियम" से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018 अभिप्रेत है ;

(च) **"वर्ष"** से खाता में राशि जमा करने की तारीख से शुरू होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है।

(2) यहां जो शब्द और वाक्यांश प्रयुक्त किए गए हैं परंतु परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम और सामान्य नियमा में दिए गए हैं।

3. खातों के प्रकार- (1) लेखा कार्यालय को प्ररूप-1 में एक आवेदन देने पर, निम्नलिखित खाते खोले जा सकते है, अर्थात् :-

(क) एकल धारक प्रकार का खाता;

(ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता; और

(ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता।

(2) (क) एकल धारक प्रकार का खाता वयस्क द्वारा अपने लिए या किसी अवयस्क या किसी विकृत्त चित्त व्यक्ति के नाम से, जिसका वह अभिभावक है या 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अवयस्क द्वारा खोला जा सकता है।

(ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता तीन वयस्कों तक के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो संयुक्त रूप से सभी धारकों या उत्तरजीवित/उत्तरजीवितों को भुगतान योग्य होगा।

(ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता तीन वयस्कों तक के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो किसी भी एक धारक या उत्तरजीवित/उत्तरजीवितों में से किसी एक को भुगतान योग्य होगा।

4. जमा - (1) न्यूनतम एक हजार रुपये और इसके बाद एक सौ रुपये के गुणकों में कितनी भी राशि खाते में जमा की जा सकती है।

(2) खाता धारक के खाते या खातों में जमा राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(3) कोई व्यष्टि अनेक खाते खोल सकता है।

5 परिपक्वता होने पर भुगतान – (1) जमा राशि जमा करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर परिपक्व होगी । खाता धारक को, लेखा कार्यालय को प्ररूप-2 में एक आवेदन देने पर, परिपक्वता राशि का भुगतान किया जा सकता है ।

(2) 1000 रूपऐ से खोले गए खाते का परिपक्वता मूल्य 1462.54 रू0 होगा और पैरा 4 के उप पैरा (1) के अनुसार अन्य जमा राशि का अनुपातिक होगा । परिपक्वता मूल्य की संगणना में रूपए की किसी भी भाग राशि को निकटतम रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, 50 पैसे या उससे अधिक राशि को एक रूपया समझा जाएगा और 50 पैसे से कम किसी भी राशि को छोड़ दिया जाएगा ।

(3) खाता धारक के माँगने पर लेखा कार्यालय द्वारा ब्याज के वार्षिक प्रोभ्दवन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रमाण पत्र के धारक/धारकों को नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट ब्याज प्रोद्भूत कराया जाएगा और चौथे वर्ष के अंत तक प्रत्येक वर्ष के अंत में जो प्रोद्भूत ब्याज है, धारक की ओर से पुन: विनिहित समझा जाएगा और प्रमाण पत्र के अंकित मूल्य की राशि के साथ संकलित किया जाएगा ।

सारणी

ब्याज प्रोद्भूत करने का वर्ष	**1000 रू. मूल्य वर्ग के प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि (रूपए में)**
पहला वर्ष	75.00
दूसरा वर्ष	**85.24**
तीसरा वर्ष	**91.98**
चौथा वर्ष	**99.24**
पाँचवा वर्ष	**107.08**

टिप्पण:- किसी अन्य मूल्य वर्ग के प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राशि के अनुपातिक होगी ।

6 खाता गिरवी रखना – (1) गिरवीदार से प्राप्त स्वीकृति पत्र के साथ प्ररूप-3 में जमाकर्ता द्वारा आवेदन करने पर, किसी खाते को गिरवी या प्रतिभूति के रूप में अंतरित किया जा सकता है ।

(2) इस पैरा के अधीन –

(क) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के गवर्नर, उनकी आधिकारिक क्षमता में ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक या कोई अनुसूचित बैंक या कोई कॉपरेटिव सोसाइटी जिसमें कॉपरेटिव बैंक सम्मिलित है ;

(ग) कोई पब्लिक या प्राइवेट कम्पनी या कोई सरकारी कम्पनी ;

(घ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ; या

(ड़) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवासन वित्तीय सोसाइटी को किसी खाते का अंतरण किया जा सकता है ।

परन्तु इस नियम के अधीन किसी अवयस्क या किसी विकृत्त चित्त व्यक्ति के नाम से खोले गए खाता का अंतरण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक यथास्थिति उस अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति का संरक्षक लिखितं में यह प्रमाणित नहीं करता कि यथास्थिति वह अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति जीवित है और यह आंतरण उस अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति की प्रसूविधा के लिए है ।

(3) उप पैरा (1) के अधीन जब किसी खाते का अंतरण किया जाएगा, तब प्राधिकृत अधिकारी खाते के अभिलेख, जिसमें बचत प्रमाण पत्र सम्मिलित है, में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात:-

"---------- को प्रतिभूति के रूप में अंतरित किया गया ।"

(4) इस स्कीम के सिवाय अन्यथा यथा उपबंधित, इस पैरा के अधीन किसी खाते का अंतरिती को, जब तक उप पैरा (5) के अधीन उसे वापस अंतरित नहीं किया जाता जमाकर्ता समझा जाएगा ।

(5) अंतरिती के लिखित प्राधिकार पर, इस पैरा के अधीन अंतरित कोई खाता, प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के साथ वापस प्रति अंतरित किया जा सकता है और जब ऐसा प्रति अंतरण किया जाएगा तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी खाते के अभिलेख, जिसमें प्रमाण पत्र सम्मिलित है, में निम्नलिखित पृष्ठाकन करेगा, अर्थात् -

"---------- को प्रति- अंतरित किया गया ।"

(6) कोई दृष्टिहीन या शारीरिक दौर्बल्य का व्यक्ति जो खाता संचालन करने में असमर्थ है, किसी ऐसे साक्षर व्यक्ति, जिसे इस प्रयोजन के लिए उसने प्राधिकृत किया है, के द्वारा अपनी जमा राशि गिरवी रख सकता है ।

7. समयपूर्व खाता बंद करना- (1) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर परिपक्वता के पूर्व खाता बंद नहीं किया जाएगा अर्थात-

(क) एकल खाते में खाता धारक या संयुक्त खाते में किसी एक या सभी खाता धारकों की मृत्यु होने पर;

(ख) गिरवीदार द्वारा राजपत्रित अधिकारी होने के नाते समपहरण किए जाने पर, जब गिरवी इन स्कीम के अनुरूप रखी जाती है;

(ग) न्यायालय के आदेश पर ।

(2) जहां उप- पैरा (1) के अधीन जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पूर्व खाता समयपूर्व बंद किया जाता है, केवल मूल रकम ही भुगतान योग्य होगा ।

(3) यदि खाता उप- पैरा (1) के अधीन जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् परंतु तीन वर्ष समाप्त होने के पूर्व समयपूर्व बंद किया जाता है, समयपूर्व बंद करने की छूट दी जाएगी और खाते के ऐसे समयपूर्व बंद होने पर ब्याज के साथ मूल रकम के बराबर रकम, पूरे मास के लिए जिसमें खाता धारित हो, समय-समय पर डाकधर बचत खाता के लिए लागू दर संदत्त होगी ।

(4) यदि खाता उप- पैरा (1) के अधीन खाता खोलने की तारीख से तीन वर्ष समाप्त होने के पश्चात् समयपूर्व बंद किया जाता है, एक हजार रूपये के जमा के लिए पैरा 5 के अधीन प्रोद्भूत ब्याज सहित और अन्य जमा रकम के लिए आनुपातिक दर पर, नीचे विनिर्दिष्ट सारणी के रूप में संदत्त होगा-

सारणी

1000 रूपए से अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् खोले गए खाते का समयपूर्व बंद मूल्य दर्शित करने वाली सारणी

खाते की तारीख से समयपूर्व बंद होने की तारीख की अवधि	**ब्याज सहित देय रकम (रूपए)**
(1)	(2)
तीन वर्ष या अधिक परंतु तीन वर्ष से कम और छह मास	1221.61
तीन वर्ष और छह मास या अधिक परंतु चार वर्ष से कम	**1263.05**
चार वर्ष या अधिक परंतु चार वर्ष से कम और छह मास	**1305.90**
चार वर्ष और छह मास या अधिक, परंतु पाँच वर्ष से कम	**1350.20**

8. एक व्यक्ति से दूसरे को खाता का अंतरण- एक व्यक्ति से दूसरे को खाता अंतरित इस शर्त के अध्यधीन होगी कि अंतरिती निम्नलिखित मामलों में, इस स्कीम के अधीन खाता खोलने का पात्र हो, अर्थात-

(i) एकल खाता के मामले में खाताधारक की मृत्यु होने पर या संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर, यथास्थिती रकम विधिक वारिस या नामनिर्देशिती, को अंतरित की जाएगी ।

(ii) न्यायालय के आदेश पर, खाताधारक से न्यायालय या न्यायालय के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को खाता अंतरित किया जाएगा ।

(iii) गिरवी रखने पर, खाता पैरा 6 के अनुसार अंतरित किया जाएगा ।

(iv) संयुक्त खाते में किसी भी खाताधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में, यथास्थिति खाता उत्तरजीवी खाताधारक या खाताधारकों, के नाम पर अंतरित होगा ।

9. खाताधारक की मृत्यु होने पर संदाय -

(1) एकल खाता में निक्षेपकर्ता या संयुक्त खाता सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु की दशा में खाते में उपयुक्त अतिशेष पैरा (2) से (6) मे विनिर्दिष्ट के अनुसार संदेय किया जाएगा ।

(2) यदि एकल खाता निक्षेपकर्ता या संयुक्त खाते के सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु के समय नामनिर्देशन प्रवृत्त है, तो नामनिर्देशिती संदाय के लिए लेखा कार्यालय में उपयुक्त अतिशेष के लिए प्ररूप-2 में आवेदन करेगा तथा निक्षेपकर्ता की मृत्यु का प्रमाण और जहां किसी नामनिर्देशिती की भी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे नामनिर्देशिती के मृत्यु के प्रमाण, के लिए आवेदन का प्रयोजन किया जाएगा ।

(3.) यदि दो या दो से अधिक उत्तरजीवी नामनिर्देशित हो, तो उपयुक्त अतिशेष निक्षेपकर्ता द्वारा नामनिर्देशन के समय विनिर्दिष्ट अनुपात के अनुसार और यदि ऐसा अनुपात या शेयर विनिर्दिष्ट नहीं हो, तो सभी उत्तरजीवी नामनिर्देशितीयों को समान अनुपात में, संदत्त किया जाएगा।

(4.) यदि किसी नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाए, उपयुक्त अतिशेष में उसका विनिर्दिष्ट शेयर सभी उत्तरजीवी नामनिर्देशितीयों को यथा विनिर्दिष्ट शेयरों के अनुसार समान अनुपात में वितरित किया जाएगा।

(5.) जहां उत्तरजीवी नामनिर्देशिती एक अव्यस्क हो, तो ऐसा संदाय निक्षेपकर्ता द्वारा नियत किए गए व्यक्ति को प्राप्त होगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नियत नहीं किया गया हो, अव्यस्क के संरक्षक को संदत्त किया जाएगा।

(6.) यदि किसी निक्षेपकर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के समय कोई नामनिर्देशन प्रवृत्त नहीं है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) में यथा अनुदत्त उसकी वसियत का प्रोबेट या संपदा के प्रशासन का पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, लेखा कार्यालय जहां उसका खाता है के प्राधिकृत अधिकारी को निक्षेपकर्ता की मृत्यु के छःमास के भीतर प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो ; ----

(i) यदि खाते मे उपयुक्त रकम पांच लाख रूपए से अनधिक होती है तो संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा कार्यालय या प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी जिससे लेखा कार्यालय संबंधित है, उसके समक्ष पेश होने वाला कोई व्यक्ति जो अधिकारयुक्त दावेदार को संदत्त कर सकेगा और उसका समाधान हो जाने पर दावेदार को रकम की प्राप्ति या मृत व्यक्ति की संपदा के प्रशासन की हकदारी प्ररूप-2 में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) मृत्यु प्रमाणपत्र ;

(ख) पास बुक या मूल में खाते का कथन / जमा रसीद

(ग) शपथ-पत्र ;

(घ) दावा त्याग पत्र;

(ङ) क्षतिपूर्ति का बंधपत्र

(ii) यदि मृत व्यक्ति के खाते की उपयुक्त रकम पांच लाख से अधिक होती है, तो न्यायालय द्वारा जारी 'उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र' के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, दावेदार को लेखा कार्यालय द्वारा रकम संदत्त की जाएगी ; अर्थात् :--

(क) दावा प्ररूप ;

(ख) पास बुक या मूल में खाते का कथन या जमा रसीद ;

(ग) खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र

(2) जहां तीन से अनधिक उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या विधिक वारिस नहीं हैं, तो वे अपनी इच्छा से, स्कीम में उपबंधित रीति से खाता चालू रख सकते हैं और परिपक्वता पर ब्याज सहित जमा रकम प्राप्त कर सकते हैं, मानो उन्होनें खाता स्वंय खोला था।

(3) जहां उप-पैरा (2) के अधीन खाता चालू नहीं है, तो उसे बंद किया जाएगा और ब्याज सहित जमा रकम पैरा 7 के उपबंध के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

(4) संयुक्त खाते में एक या दो खातेदारों की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवी खाताधारक या खाताधारकों को यदि कोई हो, खाता का स्वामी माना जाएगा और वे खाताधारक उप-पैरा 3 में विनिर्दिष्ट रीति से खाता जारी रख सकते हैं या खाता बंद कर सकते हैं।

10 साधारण नियमावली का लागू होना :-- साधारण नियमावली के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए ।

11 शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाताधारक को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो यह आदेश द्वारा कारणों को लेखबद्ध करके उन उपबंध या उपबंधो को ऐसी रीति में जो अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हो, की अपेक्षा को शिथिल कर सकेगा।

[फा. सं. 2/2/2018 एनएस(भाग-I)]
रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप-1
[पैरा 3 का उप पैरा (1) देखें]
(खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में
पोस्टमास्टर / प्रबंधक
.....
.....

आवेदक/आवेदकों की फोटो चिपकाएँ

महोदय ,

मैं/हम..... (खाताधारक (खाताधारकों)/अभिभावक), आपके डाकघर / बैंक में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VII जारी) स्कीम के अधीन एक खाताखोलने के लिए आवेदन करते हैं ।

मै/हम..... प्रारंभिक जमा के रूप में तारीख ..... रुपए नकद/चेक/डीडी.में..... तारीख़ के रूप में(रु.....) निविदा करते है। मेरी / हमारे विवरण इस प्रकार हैं

1. प्रथम जमाकर्ता

.....

पति/पिता/माता का नाम या न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक का नाम

.....

जन्म तिथि

(तारीख़ / मास / वर्ष)

(शब्दों में).....

2. दूसरा जमाकर्ता

.....

पति / पिता / माता का नाम .....

जन्म तिथि

.....

(तारीख़ / मास / वर्ष))

(शब्दों में).....

3. तीसरा जमाकर्ता

.....

पति/पिता/ माता का का नाम

.....

जन्म तिथि

.....

(तारीख़ / मास / वर्ष))

(शब्दों में) .....

4. अवयस्क/विकृत चित्त खाता धारक के व्यक्ति का नाम

.....

पिता /माता / अभिभावक का नाम

.....

जन्म तिथि .....

(तारीख़ / मास / वर्ष))

(शब्दों में) .....

5. खाताधारक(खाताधारकों) की आधार संख्या

.....

6. खाताधारक (खाताधारकों) का स्थायी खाता संख्या (पैन)

.....

7. वर्तमान पता .....

.....

स्थायी पता .....

.....

8. संपर्क विवरण टेलीफ़ोन का नंबर .....

मोबाइल नंबर .....

ईमेल

आईडी.....

9. खाता का प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से या विकृत चित्त या नेत्रहीन या निशक्त व्यक्ति के लिए अभिभावक के माध्यम से या एकल या संयुक्त ।

10. (*)अवयस्क की जन्मतिथि का विवरण .....
(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)

क) प्रमाण पत्र नं. .....

ख) जारी करने की तिथि .....

ग) जारी करने वाला प्राधिकरण

.....

11. (*) अभिभावक का नाम (प्राकृतिक/विधिक) .....
(यदि खाता अवयस्क/ विकृत चित्त व्यक्ति
की ओर से खोला जाता है)

12. केवाईसी के अन्य दस्तावेजों का विवरण संलग्न 1. पहचान का प्रमाण

.....

2. पते का सबूत

.....

पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जाता है: 1. पासपोर्ट 2. चालक अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जारी जाब कार्ड 5. नाम और पते के विवरण को अंतर्विष्ट करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र;

13. खाते का संचालन होगा:- (क) सभी धारकों द्वारा एक साथ या जीवित धारक/धारकों ।

(संयुक्त खाते के मामले में) (ख) धारक/धारकों, या जीवित जमाकर्ता/ जमाकर्ताओ के द्वारा,

14. मेरा/हमारा नमूना हस्ताक्षर

1.....2.....3.,.....(नाम).....
1.....2..... 3.....(नाम).....
1.....2.....3.....(नाम).....
1.....2.....3.....(नाम).....

मैं समय-समय जारी किए गए संशोधनों और स्कीम पर लागू सरकारी बचत संवर्धन नियमों -2018 और स्कीम के उपबंधों को जारी करता हूं।.

खाता धारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
तारीख :.....

नामनिर्देशन

16.मैं/हम ..... नीचे उल्लेखित व्यक्ति (ओं) को नामनिर्देशित करते हैं, जिन्हें मेरी मृत्यु की स्थिति में अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर करने की राशि मेरे पास है मेरी मृत्यु के समय राष्ट्रीयबचत प्रमाण पत्र(VIII जारी) में ऋण देय होगा।

क्र.सं.	नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम (पते) और संबंध	पूरा पता (पते)	नामनिर्देशिती का आधार नंबर (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नामनिर्देशित व्यक्ति की जन्म तिथि	पात्रता का हिस्सा	पात्रता की प्रकृति (न्यास कर्ता या स्वामी)
1						
2						
3						
4						

क्रम संख्या ..... पर नामनिर्देशिती(ओं)के रूप में ..... ऊपर वर्णितहै/अवयस्कहैं(हैं),मैंश्री/श्रीमती/कुमारी..... नियुक्त करता हूं ..../ का/पुत्र, का/पुत्री, का/पत्नी.....पता.....

..... नाता (ओं) के अल्पसंख्यक के दौरान मेरी मृत्यु की स्थिति में उक्त खाते के तहत राशि प्राप्त करता है।

1. गवाह के हस्ताक्षर .....

नाम और पता .....

2. गवाह के हस्ताक्षर .....

नाम और पता .....

खाता धारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान .....

तारीख :.....

पोस्ट ऑफिस/बैंक के उपयोग के लिए

खाते को ..... के नाम पर तारीख..... खाता सं.....द्वारा (स्कीम का नाम).....के अधीन.....रुपये के आरंभीक जमा के साथ.....को खोला गया है।

ग्राहक पहचान संख्या ....

नामांकन को तारीख ..... संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।

प्ररूप-**2**

[**पैरा** 5 **के उप-पैरा** (1) **देखें**]

(**खाता बंद करने के लिए आवेदन**)

डाकघर/बैंक का नाम _____

तारीख _____

खाता संख्या _____

1. मैं / हम पास बुक / जमा रसीद जमा करते हैं और _____ पर परिपक्व मेरे / हमारे उपर्युक्त खाते को बंद करने के लिए आवेदन करते हैं।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में पात्र शेष राशि का श्रेय _____ (खाता कार्यालय का नाम) पर खड़े मेरे एसबी खाता संख्या ._____ को दें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट / अकाउंट पेयी चेक जारी करें

या

कृपया नकद में भुगतान करें (यदि राशि अनुमेय सीमा से कम है तो लागू).

* प्रमाणित किया जाता है कि खाते में आयोजित राशि ..... के उपयोग के लिए आवश्यक है, जो जीवित है और अभी भी अवयस्क है।

खाता धारक/ अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(अंगूठे के निशान को लेखा कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

भुगतान आदेश

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

तारीख .....

भुगतान का विवरण

मूल राशि रुपये._____

(+)ब्याज देय रुपये. _____

(-) अधिदत्त ब्याज की वसूली._____ रुपये

यदि कोई कटौती है _____ रुपये

देय कुल राशि _____ **रुपये**

भुगतान._____ **रुपये** (आंकड़ों में)_____(शब्दों में)

स्थान :

तारीख :

पोस्टमास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर

निस्तारण पत्र

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

नकद/चेक/डीडीबियरिंग सं...

.....। नहीं.....

तारीख खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप-3

[पैरा6 के उप-पैरा (1) देखें]

(खाता को गिरवी रखने के लिए आवेदन)

सेवा में,

पोस्टमास्टर/प्रबंधक

.....

महोदय,

1. मैं/हम .....(सरकार के राजपत्रित अधिकारी का कार्यालय पदनाम या भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, रजिस्ट्रकृत सहकारी समिति, निगम, एक सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण).....के साथ प्रतिभूती के रूप में .....रुपये की रकम को जमा करने की अपेक्षा करते है । इसलिए मैं/हम ..... (अधिकारी का कार्यालय पदनाम) या शाखा का नाम आदि जिसमें खाता प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा रहा है।)..... के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII जारी) के अधीन..... खाता संख्या में जमा को अन्तरित का अनुरोध करते है

खाते का विवरण

खाता संख्या	तारीख	खाता कार्यालय का नाम	राशि

ऊपर उल्लिखित प्राधिकरण ने प्रतिज्ञा को स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। प्रतिज्ञा के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा स्वीकृति संलग्न है।

तारीख:..... खाते के हस्ताक्षर धारक /अभिभावक(कों)

पता.....

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

खाता संख्या _____ को पंजीकरण संख्या ..... दिनांकित... ..... और आवश्यक प्रविष्टियों को रिकॉर्ड में चिह्नित किया गया है। पासबुक / जमा रसीद / खाते का विवरण भी प्रतिज्ञा के साथ चिह्नित किया गया है और खाताधारक को वापस कर दिया गया है.

पोस्ट मास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर
सील

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 919(E).— In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) This Scheme may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) Scheme, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "account" means an account opened under this Scheme;

(b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;

(c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);